अध्याय–2

संगठन

2.1 सचिवालय का ढांचा

कोयला मंत्रालय के सचिवालय के प्रमुख सचिव हैं, जिनकी सहायता के लिए एक अपर सचिव, तीन संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार सहित), एक परियोजना सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार, सात निदेशक/उप सचिव, एक तकनीकी निदेशक, नौ अवर सचिव, अट्ठारह अनुभाग अधिकारी, एक सहायक निदेशक (रा.भा.), एक लेखा नियंत्रक तथा उनके सहायक कर्मचारी हैं।

2.2 कोयला मंत्रालय के कार्य

कोयला मंत्रालय भारत में कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों के अन्वेषण, विकास तथा दोहन से संबंधित है। कोयला मंत्रालय को समय–समय पर संशोधित भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली 1961 के अनुसार आवंटित कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) भारत में कोकिंग कोयला तथा नान–कोकिंग कोयला और लिग्नाइट भंडारों का अन्वेषण और विकास।

(ii) कोयले के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा कीमत निर्धारण से संबंधित सभी मामले।

(iii) ऐसी वाशरियों को छोड़कर, जिनके लिए इस्पात विभाग जिम्मेदार है, कोयला वाशरियों का विकास और प्रचालन।

(iv) कोयले का निम्न तापीय कार्बनीकरण तथा कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन।

(v) कोयला गैसीकरण से संबंधित सभी कार्य।

(vi) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का संचालन।

(vii) कोयला खान भविष्य निधि संगठन।

(viii) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन।

(ix) खानों से उत्पादित और प्रेषित किए गए कोक और कोयला पर उत्पाद–शुल्क की उगाही और संग्रहण के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अंतर्गत नियमावली और बचाव निधि का प्रशासन।

(x) कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन।

(xi) खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघीय कानूनों का प्रशासन, जहां तक उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयला और लिग्नाइट तथा रेत भराई और ऐसे प्रशासन से संबंधित कार्य, जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।

(xii) कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 26) का प्रशासन।

2.3 सार्वजनिक क्षेत्र / संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोयला उद्योग की शीर्ष निकाय कोल इंडिया लि. है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह नीति मार्गनिर्देशों को निर्धारित करने और अपनी सहायक कंपनियों के साथ समन्वय कार्य के लिए

उत्तरदायी है। सीआईएल को उसकी सभी सहायक कंपनियों की ओर से निवेश, आयोजना, जनशक्ति प्रबंधन, हेवी मशीनरी की खरीद, वित्तीय बजट बनाने आदि का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की इसकी निम्नलिखित 8 सहायक कंपनियां है :–

(i) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), धनबाद, झारखंड

(ii) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), रांची, झारखंड

(iii) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), संकतोड़िया, प.बंगाल

(iv) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल), नागपुर, महाराष्ट्र

(v) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), बिलासपुर, छत्तीसगढ़

(vi) नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), सिंगरौली, मध्य प्रदेश

(vii) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), सम्बलपुर, उड़ीसा

(viii) सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), रांची, झारखंड।

2.3.1 नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एनएलसी) जिसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में है तथा कारपोरेट कार्यालय नेयवेली, तमिलनाडु में है, लिग्नाइट के दोहन तथा उत्खनन, तापीय विद्युत के उत्पादन एवं कच्चे लिग्नाइट की बिक्री में लगी हुई है।

2.3.2 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल), 51:49 के अनुपात में समान इक्विटी पूंजी के साथ आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार का संयुक्त क्षेत्र का एक उपक्रम है।

2.4 अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त संगठन

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्तशासी संगठन हैं :–

(i) कोयला नियंत्रक संगठन का कार्यालय (सीसीओ) – एक अधीनस्थ कार्यालय।

(ii) कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) – एक स्वायत्त संगठन ।

2.5 कोयला नियंत्रक का संगठन

2.5.1 कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है और धनबाद, राँची, बिलासपुर, नागपुर सम्बलपुर और काठगुदाम में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) की हैसियत से कार्यरत एक जीएम/डीजीएम स्तर के कार्यपालक अधिकारी मुख्य अधिकारी होते हैं और उनकी सहायता के लिए अन्य तकनीकी अधिकारी होते हैं। चयनित खानों में गुणवत्ता की जांच करने के लिए निरीक्षण करने के अलावा, क्षेत्रीय अधिकारी कोयला गुणवत्ता से संबंधित विशिष्ट आदेशों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने और सांविधिक शिकायतों का समाधान करने के लिए नियमित निरीक्षण भी करते हैं। गुणवत्ता सर्वेक्षण देखने के अलावा, उपर्युक्त क्षेत्रीय अधिकारियों को कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) नियम, 1975 (2011 में संशोधित) के अंतर्गत सीसीडीए सहायता से

संबंधित क्षेत्रीय कार्य, कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 के अंतर्गत खानों की सीमों को खोलने / फिर से खोलने की अनुमति और कोयला कंपनियों के साथ समन्वय भी सौंपा गया है। इसके अलावा, एक विशेष कार्य अधिकारी को क्षेत्रीय कार्यालयों का समन्वय करने के लिए कोयला नियंत्रक का संगठन, कोलकाता में तैनात किया गया है। वह आसनसोल तथा एनईसी कमान क्षेत्र की कोयला खानों का कार्य भी देखता है तथा कोयला नियंत्रक को विभिन्न मामलों में सहायता भी करता है।

कोयला नियंत्रक के कार्यालय में एक पूर्ण सांख्यिकीय स्कन्ध है जिसमें एक उप–महानिदेशक, एक उप–निदेशक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ हैं जो नियमित आधार पर कोयला सांख्यिकियों के एकत्रीकरण, समेकन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकियों का एक प्रमुख स्रोत है।

सीसीओ की सहायता उप–सहायक कोयला नियंत्रकों एवं अन्य अधिकारियों की समूह द्वारा भी की जाती है जो रेत भरायी के उत्पाद शुल्क को एकत्र करने तथा अन्य तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्यों में सीसीओ की सहायता करते हैं।

उप–महानिदेशक, उप–निदेशक तथा उप–सहायक कोयला नियंत्रक केप्टिव कोयला ब्लॉकों, निलम्ब लेखों को खोलने, न्यायिक मामलों से निपटने, रेत भरायी संबंधी उत्पादन शुल्क के संग्रह की निगरानी करने, सीसीडीए, भुगतान आयुक्त से संबंधित कार्यों आदि की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2.5.2 कोयला नियंत्रक का संगठन विभिन्न संविधियों से उत्पन्न विभिन्न सांविधिक कार्यों को निपटाता है :

(i) कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 तथा कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004

(ii) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 और कोयला खान (संरक्षण और विकास) नियम, 1975।

(iii) सांख्यिकी एकत्रीकरण अधिनियम, 1953 (1953 का 32) और सांख्यिकी एकत्रीकरण (केंद्रीय) नियमावली, 1959

(iv) कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20)।

2.5.3 कोयला नियंत्रक संगठन निम्नलिखित कार्य भी करता है:

(क) केप्टिव कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के विकास की प्रगति की मानीटरिंग।

(ख) वाशरियों की मानीटरिंग।

(ग) विभिन्न कोयला उत्पादों के निपटान की मानीटरिंग।

(घ) खान बंद करने संबंधी योजनाओं की प्रस्तुति पर अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा विभिन्न कोयला / लिग्नाइट कंपनियों के साथ इस्क्रो अकाउंट करार पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत सरकार के नामिती के रूप में कार्य करना।

2.5.4 अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान कोयला नियंत्रक संगठन के कार्य–निष्पादन का एक संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

i) कोयला खानों को खोलने और पुनः खोलने की अनुमति देना:

कोयला नियंत्रक ने अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 के दौरान कोयला 11 खानों/लिग्नाइट खानों को खोलने और पुनः खोलने की अनुमति प्रदान की।

ii) **कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 8 के अधीन मामलों को निपटानाः**

अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान कोयला नियंत्रक ने कोयलाधारी क्षेत्र अधिनियम, 1957 की धारा 8 के अधीन 15 अधिसूचनाओं के संबंध में कोयला मंत्रालय को रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

iii) **रेत भराई / संरक्षण कार्यों एवं सड़कों के लिए सीसीडीए द्वारा निधियां रिलीज करनाः**

कोयला नियंत्रक, कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) नियमावली, 1975 के अधीन गठित कोयला संरक्षण एवं विकास सलाहकार समिति (सीसीडीएसी) के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है। कोयला नियंत्रक का कार्यालय कोलफील्ड क्षेत्रों में रेत भराई, संरक्षण कार्यों, अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों तथा सड़क, रेलवे परियोजनाओं के लिए सीसीडीएसी की निधियों की रिलीज हेतु कोयला कंपनियों से आवेदन / दावों को प्राप्त करता है, प्रक्रियाबद्ध करता है तथा जांच करता है।

अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान, कोयला संरक्षण एवं विकास सलाहकार समिति (सीसीडीएसी) ने अपनी 71वीं बैठक में स्टोईंग (एसटी), संरक्षात्मक कार्य (पीडब्ल्यू) एवं आर एंड डी शीर्ष के लिए ब.अ. में 150.00 करोड़ रू. (2012–13) (137.30 करोड़ रू., 12.70 करोड़ रू. जनजातीय क्षेत्रों के लिए) की तुलना में कोयला कंपनियों को 86.02 करोड़ रू. रिलीज करने की सिफारिश की। कोयला मंत्रालय द्वारा उक्त राशि शीघ्र रिलीज कर दी जाएगी। समिति ने सड़क एवं अवसंरचना के विकास के लिए 50 करोड़ रू. के ब. अ. (2012–13) की तुलना में 35.00 करोड़ रू. रिलीज करने की भी सिफारिश की। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रिलीज की गई सीसीडीए सहायता निम्नवत हैः–

स्टोईंग / संरक्षात्मक कार्य एवं आर एंड डी शीर्ष

अवधि	योजनाएं			
	स्टोईंग (करोड़ रु. में)	सरंक्षात्मक कार्य (करोड़ रु. में)	आरएंडडी	कुल (करोड़ रु.)
71वीं सीसीडीएसी बैठक में अनुमोदित अर्थात् अक्टूबर, 2012 से मार्च, 2012	78.114	7.592	0.314	86.020
अप्रैल, 2011 से सितम्बर, 2011 के लिए अनुमानित सीसीओ	75.90	8.49	00	84.390

सड़क/रेल अवसंरचना शीर्ष

अवधि	सड़क/रेल अवसंरचना शीर्ष
71वीं सीसीडीएसी बैठक में अनुमोदित अर्थात् अक्टूबर, 2011 से मार्च, 2012	35.00
अप्रैल, 2011 से सितम्बर, 2011 के लिए अनुमानित सीसीओ	50.00

iv) जांच किए गए कोयला नमूनों, प्राप्त एवं निपटाई गई सांविधिक शिकायतें

कोलियरी नियंत्रण नियमावली (सीसीआर) 2004 के अधीन कोयला नियंत्रक कोलियरियों से प्रेषित कोयले की गुणवत्ता की मानीटरिंग करता है तथा उपभोक्ताओं की गुणवत्ता संबंधी शिकायतों का समाधान करता है। अप्रैल, 2012–दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान 513 नमूने जांच हेतु लिए गए थे। इस अवधि के दौरान 10 गैर–सांविधिक तथा 7 सांविधिक शिकायतें प्राप्त हुई।

v) उत्पादन शुल्क का संग्रहण

अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान 405.14 करोड़ रू. का संग्रहण किया गया था। जनवरी, 2013 से मार्च, 2013 की अवधि के लिए अनुमानित (प्रक्षेपित) आंकड़ा 145 करोड़ रू. होगा।

vi) कोयला सांख्यिकी का संग्रहण, संकलन तथा प्रकाशन

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 (1953 का 32) और सांख्यिकी संग्रहण (केंद्रीय) नियमावली 1959 के अंतर्गत, कोयला नियंत्रक कोयला तथा लिग्नाइट के उत्पादन एवं प्रेषण के विभिन्न मानदंडों के संबंध में डाटा के संकलन तथा प्रसार के लिए एकमात्र अभिकरण होने के कारण, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, आरबीआई, डीआईपीपी, भारतीय खान ब्यूरो एवं अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मासिक डाटा मुहैया करता है। यह वार्षिक कोयला निदेशिका और अनंतिम कोयला सांख्यिकी 2011–12, 2012–13 में भी प्रकाशित करता है। कोयला निदेशिका 2010–11 तथा अनंतिम कोयला सांख्यिकी प्रकाशित की गई है। कोयला निदेशिका 2011–12 का कार्य चल रहा है।

vii) 2012–13 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में उपलब्धियों के बारे में रिपोर्ट :

राजभाषा कार्यक्रम के बारे में प्रगति की निगरानी के लिए कोयला नियंत्रक श्री ए.आचार्य तथा उप–महानिदेशक श्री ए.के. वर्मा की अध्यक्षता में क्रमशः 27.06.2012 और 18.12.2012 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो तिमाही बैठकें हुई।

हिंदी कार्यशाला

दैनिक सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी की जानकारी में सुधार लाने के उद्देश्य से 19.06.2012 से 21.06.212 तक तथा 11.09.2012 से 13.09.2012 तक की अवधि के दौरान हिंदी की दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इसके अलावा, 5 दिनों के गहन प्रशिक्षण के लिए दो बेचों में 6 कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में भेजा गया था।

शब्दकोश (अंग्रेजी हिंदी) तथा अन्य पुस्तकें

तीन सहायक पुस्तकों अर्थात राजभाषा सहायिका, सामयिक प्रशासनिक कोश तथा हिंदी–अंग्रेजी पत्र लेखन का एक सेट हिंदी में नोटिंग ड्राफ्टिंग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों और अनुभाग पर्यवेक्षकों को वितरित किया गया है।

हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाड़ा

हिंदी दिवस पर 14–28 सितम्बर, 2012 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया था। इस अवधि के दौरान हिंदी नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग, अनुवाद, हिंदी टंकण, हिंदी में वाद–विवाद जैसी

विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिससे हिंदी में सरकारी कामकाज करने हेतु कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा सके। कोयला नियंत्रक ने प्रत्येक प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं का नकद पुरस्कार दिया।

नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग

लक्ष्य के अनुसार फाइलों में नोटिंग की जा रही है। जुलाई–सितम्बर, 2012 की रिपोर्टें निम्नवत है:

कुल नोटिंग :	736
हिंदी में :	352
अंग्रेजी में :	384
प्रतिशत :	48%

हिंदी में पत्रों को जारी करना

हिंदी में पत्र उचित रूप से जारी किए जा रहे हैं। जुलाई–सितम्बर, 2012 की रिपोर्टें निम्नवत है:

क्षेत्र	कुल पत्र	हिंदी में	अंग्रेजी में	प्रतिशत
"क"	721	449	272	62.27%
"ख"	162	111	51	68.51%
"ग"	304	185	119	60.85%

हिंदी प्रशिक्षण

सभी कर्मचारी लगभग प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ में प्रशिक्षित हैं। अवर श्रेणी लिपिक और आशुलिपिक क्रमशः हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं।

viii) भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य:

कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण), 1973 के अनुसरण में 1972–73 में राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के पूर्ववर्ती मालिकों की देयताओं का समाधान निकालने के लिए राशि के संवितरण के प्रयोजनार्थ भुगतान आयुक्त के दो कार्यालय अर्थात धनबाद में तथा कोलकाता में स्थापित किए गए थे। धनबाद कार्यालय का पर्याप्त कार्य समाप्त हो जाने के बाद उक्त कार्यालय को बंद कर दिया गया था और शेष कार्य को 1987 में भुगतान आयुक्त के कार्यालय, कोलकाता को अन्तरित कर दिया गया था।

बाद में आर्थिक सुधार आयोग (ईआरसी) की सिफारिशों के अनुपालन में भुगतान आयुक्त के कार्यालय, कोलकाता को 6 जून, 2007 से बंद कर दिया गया है। भुगतान आयुक्त कार्यालय, कोलकाता के शेष कार्य को कोयला नियंत्रक के कार्यालय को अन्तरित कर दिया गया है। इस समय कोयला नियंत्रक पदेन भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं।

भुगतान आयुक्त का कार्यनिष्पादन निम्नवत है:

क्र.सं.	विवरण	कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972
1	केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत कोलियरियों की संख्या	226	711
2	31.3.2012 तक बंद किए कोलियरीज खातों की संख्या	185	627
3	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार उन कोलियरीज खातों की संख्या जिन्हें अभी बंद किया जाना है।	41	84
4	2012–13 (दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान उन कोलियरीज की संख्या जिन्हें बंद किया गया	0	0
5	2012–13 (दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान उन कोलियरीज की संख्या जिन्हें बंद किया गया	0	0
6	31.12.2012 की स्थिति के अनुसार उन कोलियरीज की संख्या जिन्हें बंद नहीं किया गया	41	84
7	2012–13 (दिसम्बर, 2012 तक) संवितरित मुआवजा राशि	55.20 लाख रुपए	शून्य
8	31.12.2012 की स्थिति के अनुसार शेष राशि	2.91 करोड़ रुपए	7.41 करोड़ रुपये

2.5.5 कोयला नियंत्रक कार्यालय के बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए कोयला नियंत्रक कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए आईएसएम, धनबाद द्वारा एक अध्ययन चालू किया गया है।

2.6 कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ)

कोयला खान भविष्य निधि संगठन, कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है और कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948 तथा कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 और कोयला खान पेंशन योजना, 1998 को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार है। इन तीन योजनाओं को केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, रोजगारदाताओं के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों वाली त्रिपक्षीय ट्रस्टी बोर्ड द्वारा प्रशासित होता है।

यह संगठन 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार लगभग 4.31 लाख भविष्य निधि अंशदाताओं तथा लगभग 3.90 लाख पेंशनभोगियों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है।

सीएमपीएफओ का मुख्यालय धनबाद में है और देश में कोयला उत्पादक राज्यों में इसके 24 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

2.6.1 कोयला खान भविष्य निधि योजना

वित्तीय वर्ष 2012–13 के अंत में, निजी क्षेत्र में प्रचालनरत कोक संयंत्रों को छोड़कर इस योजना में कवर की गयी कोयला खानों और कार्यालय यूनिटों की कुल संख्या 900 थी। 31.12.12 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि योजना 1948 की वर्तमान सदस्यता 4.31 लाख लगभग है।

2012–13 के दौरान (दिसम्बर 2012 तक) कोयला खान भविष्य निधि में स्वैच्छिक अंशदान की राशि सहित लगभग 3200 करोड़ रू. की राशि कोयला खान भविष्य निधि खाता में प्राप्त हुई जिससे कुल अंशदान बढ़कर लगभग 31564.00 रूपए हो गया। अंशदान तथा उस पर ब्याज से कुल वृद्धि वापसी एवं अग्रिमों को घटाकर लगभग 32283.37 करोड़ रूपए होता है। इस निधि के संपूर्ण संचय को वित्त मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार निवेश किया जाता है। 31 दिसम्बर, 2012 तक निधि के निवेश का कुल अंकित मूल्य लगभग 51627.63 करोड़ रू. था (16,522.50 करोड़ के एसडीएस निवेश सहित)

2012–13 के दौरान सदस्यों के संचय पर 8.50: की दर से अनंतिम ब्याज की अनुमति दी गई है।

2012–13 के दौरान (31 दिसम्बर, 2012 तक) तक दिए गए अग्रिम के साथ–साथ भविष्य निधि से चुकौती निम्नवत है:

भविष्य निधि से चुकौती और अग्रिम के मामले	निपटाए गए और संवितरित मामलों की संख्या (1.4.2012 से 31.12.2012 तक) (ओएसएस रिपोर्ट के अनुसार)
भविष्य निधि चुकौती मामले	12,059 (पीएफ) + 802 (पीएफ पुनः निपटाया गया)
विवाह अग्रिम, शिक्षा अग्रिम, गृह निर्माण अग्रिम	10,689
पी.एफ. और अग्रिम पर संवितरित राशि	2808.28 करोड़ रुपए लगभग

सभी आंकड़े अनन्तिम हैं।

सीएमपीएफ योजना के संचालन की लागत कोयला कंपनियों द्वारा सीएमपीएफओ को प्रदान की गयी 3 प्रतिशत की दर से प्रशासनिक प्रभार से पूरी की जाती है।

2.6.2 कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना

यदि किसी कर्मचारी की, जो कोयला खान भविष्य निधि योजना का सदस्य है, सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसका/उसकी नामिती भविष्य निधि के अलावा, पिछले 3 वर्ष के दौरान मृतक के खाते में, अधिकतम 10,000 रू. के अध्यधीन, औसत शेष राशि के बराबर प्राप्त करने का हकदार था।

इस योजना के अनुसार नियोजकों द्वारा शामिल कामगारों के कुल वेतन के 0.5 प्रतिशत की दर से इस योजना में अंशदान किया जाना अपेक्षित था। केंद्र सरकार के लिए भी इस योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं द्वारा किए गए अंशदान की आधी राशि का अंशदान करना अपेक्षित था।

वर्तमान में, इस योजना के संचालन की लागत पूरा करने के लिए, निजी क्षेत्र के नियोक्ता का अंशदान समग्र वेतनों का 0.1प्रतिशत की दर से होता है और केंद्र सरकार उसका 50 प्रतिशत अर्थात समग्र वेतन का 0.05 प्रतिशत अंशदान करता है।

सीआईएल के कार्यपालक संवर्ग के कर्मचारियों को राजपत्र अधिसूचना सं.सां.आ.822(ई) दिनांक 24.03.2009 के माध्यम से उक्त योजना के प्रचालन से छूट दी गई थी। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के कामगारों को पूर्व में कोयला मंत्रालय द्वारा इस योजना के प्रचालन से छूट दी गई थी।

2.6.3 कोयला खान पेंशन योजना–1998

कोयला खान भविष्य निधि की धारा 3 ई और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के अधिक्रमण में किए गए कार्यों तथा ऐसी अधिक्रमण के पूर्व किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार ने कोयला खान पेंशन योजना, 1998 बनाया है।

कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च, 1998 से लागू हुई है। वर्ष 2012–13 (31 दिसम्बर, 2012 तक) में निपटाए गए दावों की संख्या लगभग 22,745 (पेंशन) और 7707 (पेंशन पुनः निपटान (ओएसएस रिपोर्ट के अनुसार हैं।) कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के तहत संवितरित कुल राशि 2012–13 के दौरान (31 दिसम्बर, 2012 तक) लगभग 831.33 करोड़ रू. है।

इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :–

निधि का संग्रह और उसे कायम रखना :

पेंशन निधि में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(क) नियत दिन को कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 की निवल परिसंपत्ति।

(ख) कर्मचारी के मासिक वेतन के दो तथा एक तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि जो निधि में कर्मचारी और नियोजक के अशंदान बराबर–बराबर शेयर का अपना–अपना कुल अंशदान करते हैं, कर्मचारी की निधि से नियम दिन से अंतरित किया जाना है।

(ग) 1 अप्रैल, 1989 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, से 31.3.1996 तक कर्मचारी को प्रदत्त मूल एवं मंहगाई भत्ता के 2 प्रतिशत के बराबर राशि और 1 अप्रैल 1996 से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, उसके वेतन से अंतरित की जाएगी।

(घ) 1 जुलाई, 1995 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख इसमें जो भी बाद में हो, से कर्मचारी के वेतन के आधार पर परिकलित एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि कर्मचारी के वेतन से 1.7.1995 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, इसमें से जो भी बाद में हो, से अंतरित की जानी है।

(ड.) कर्मचारी के वेतन के एक तथा दो तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि का केंद्र सरकार द्वारा नियत तारीख से अंशदान किया जाना है बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसका वेतन एक हजार छः सौ रू. प्रति माह से अधिक हो, केंद्र सरकार द्वारा देय अंशदान मात्र एक हजार छः सौ रू. प्रति माह के वेतन पर देय अधिकतम राशि के बराबर होगा।

(च) योजना के प्रावधान की शर्तों के अनुसार इस योजना के नये इच्छुक सदस्यों द्वारा राशि जमा की जाएगी।

वर्ष 2012–13 (31.12.2012 तक) में लगभग 500.00 करोड़ रू. कार्यरत सदस्यों के अनिवार्य पेंशन अंशदान के रूप में भविष्य निधि से अंतरित किए गए। 31 दिसम्बर, 2012 (सरकारी शेयर तथा ब्याज सहित) की स्थिति के अनुसार पेंशन अंशदान में निवल वृद्धि लगभग 1558.00 करोड़ रूपए है।

कवरेज :–

(क) वे सभी कर्मचारी, जो समाप्त की गई कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य थे और 31 मार्च, 1998 की कर्मचारियों की नामावली में थे।

(ख) ऐसे सभी कर्मचारी जो 31 मार्च, 1998 को अथवा उसके बाद नियुक्त किए गए।

(ग) ऐसे सभी सदस्य जिन्होंने योजना के तहत विनिर्दिष्ट शर्त के साथ पीएस–1 और पीएस–2 प्रपत्र जैसी भी स्थिति हो, में पेंशन निधि की सदस्यता को चुना है।

(घ) 1.4.94 से 31.3.1998 की अवधि में सेवाकाल के दौरान मृत सभी कर्मचारियों को दिनांक 12.8. 2004 के जीएसआर सं.521 (ई) के अनुसार योजना के मानित इच्छुक सदस्यों के रूप में माना जाएगा।

लाभः–

(क) मासिक पेंशन (अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवा से निकलना।)

(ख) विकलांगता पेंशन

(ग) मासिक विधवा अथवा विधुर पेंशन

(घ) बाल पेंशन

(ड.) अनाथ पेंशन

(च) अनुग्रह राशि का भुगतान

टिप्पणी : कोयला मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष 2012–13 (31.12.2012 तक) के लिए सामग्री में प्रदत्त सभी आंकड़े अनंतिम (गैर–लेखा परीक्षित) हैं।